भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1071

गुरुवार, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 (शक)

सड़क परियोजनाओं में देरी

1071. श्री रेबती त्रीपुराः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का परियोजना की अंतिम तिथि के, विशेष रूप से उत्तर पूर्व के परिप्रेक्ष्य में, उन कम्पनियों पर कोई शास्ति लगाने का प्रस्ताव है जिनका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कम्पनियों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में वर्तमान में कोई और दंड उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विलम्ब को रोकने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाएगी/लागू की जाएगी?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): संबंधित रियायत/ठेका करार में करार की शर्तों को पूरा करने में रियायतग्राही/ठेकेदार के चूक के कारण विलंब होने की स्थिति में शास्तियां लगाने का प्रावधान है।

(ग) और (घ): संविदा/रियायत करार में निर्धारित दंड संहिता और प्रक्रिया ही कार्यान्वित की जा सकती है। संबंधित रियायत/ठेका करार के प्रावधानों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रियायतग्राही/ठेकेदार को समापन नोटिस देने की मंशा से क्योर पीरियड नोटिस जारी करता है।

*****